

न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या  
15/157/2025

रजि० नं० 2025/  
2025/403

प्रवेश तिथि  
07.10.2025

निर्णय दिनांक  
30.04.2026

1- अरविन्द कुमार पुत्र सूबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम गैलपुर तहसील टपूकडा जिला  
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)


प्रार्थी

बनाम

- 1- सहीराम पुत्र गणेशी,
- 2- अनिल कुमार पुत्र कदलीपसिंह,
- 3- अभयसिंह पुत्र परमाराम,
- 4- उदयराम पुत्र जेला,
- 5- ओमप्रकाश यादव पुत्र परमाराम,
- 6- औमवीर पुत्र गणेशी,
- 7- कमलेश पुत्र जग्गन,
- 8- कृष्णा देवी पुत्री परमाराम,
- 9- गजराज पुत्र जेला,
- 10- गणेशीराम पुत्र छीतर,
- 11- चिम्मनलाल पुत्र हरीसिंह,
- 12- दौलतराम पुत्र जैला,
- 13- पृथ्वी पुत्र गणेशी,
- 14- परमाराम पुत्र छीतर,
- 15- बलबीर पुत्र छीतर,
- 16- मुकेश पुत्र जग्गन,
- 17- मुनीराम पुत्र जेला,
- 18- रतनसिंह पुत्र परमाराम,
- 19- रमेश देवी पत्नी जग्गन,
- 20- राकेश कुमार पुत्र जग्गन,
- 21- रामकिशन पुत्र परमाराम,
- 22- सतवीर पुत्र गणेशी,
- 23- सतीश पुत्र दलीपसिंह,
- 24- संतोष पत्नी दलीपसिंह,
- 25- सुरेश पुत्र परमाराम जातियान अहीर निवासीयान ग्राम गैलपुर तहसील टपूकडा जिला  
खैरथल-तिजारा राजस्थान
- 26- प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान
- 27- प्रबंधक सिडीकेट बैंक शाखा टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान
- 28- प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टपूकडा तहसील टपूकडा जिला  
खैरथल-तिजारा राजस्थान
- 29- उप-पंजियक टपूकडा तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान
- 30- राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान

असल अप्रार्थोगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 24 दीवानी  
प्रक्रिया संहिता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में  
विचाराधीन उनवानी वाद अरविन्द कुमार बनाम सहीराम  
वगै० वाद संख्या 463/2024 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व  
188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकासमा

  
जिला कलेक्टर  
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

को दीगर राजस्व न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने  
बाबत।

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह कथन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा में विचाराधीन वाद संख्या 463/2024 में प्रतिवादीगण/अप्रार्थी उक्त वाद में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से साजवाज हो चुके, प्रतिवादीगण/अप्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की संभावना नहीं है, इसी आधार पर उक्त प्रकरण को किसी अन्य दीगर राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र तथा प्रस्तुत आधारों पर विचार किया गया। स्थानांतरण की शक्ति एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग केवल उसी दशा में किया जाता है, जब अभिलेख पर ऐसी ठोस, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत हो कि संबंधित न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, अथवा न्याय के हित में प्रकरण का स्थानांतरण अनिवार्य है। केवल आशंका, अनुमान, असंतोष, या किसी पक्षकार द्वारा लगाए गए सामान्य आरोप, स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं माने जा सकते।

प्रार्थी द्वारा यह आरोप अवश्य लगाया गया है कि अप्रार्थीयान प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने राजस्व अधिकारियों से साठगांठ कर उक्त प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में कराने की जुस्तजु में है, किन्तु इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र, ठोस अथवा विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय पक्षपाती है, या न्यायिक कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं चलेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण अभी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थिया असंतुष्ट है, तो उसके विरुद्ध विधि में उपलब्ध उपयुक्त उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्थानांतरण का अधिकार इस उद्देश्य से नहीं है, कि कोई पक्षकार केवल अपने मनोनुकूल न्यायालय चुन सके या मात्र आशंका के आधार पर कार्यवाही को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय भेज दिया जाए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह भी परिलक्षित नहीं होता कि तहत अदालत को प्रकरण सुनने से विधिक रूप से वंचित करने वाला कोई क्षेत्राधिकार संबंधी, वैधानिक अथवा प्रक्रियात्मक दोष विद्यमान है। न ही ऐसा कोई विशेष कारण सामने आया है, जिससे यह कहा जा सके कि न्याय के हित में स्थानांतरण अपरिहार्य है।

अतः समस्त तथ्यों, प्रार्थना पत्र के आधारों तथा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आशंकाएँ केवल सामान्य एवं आरोपात्मक प्रकृति की हैं, जो किसी विचाराधीन प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थिया स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार स्थापित करने में असफल रहा है।

## आदेश

फलस्वरूप, प्रार्थी अरविन्द कुमार पुत्र सूबेसिंह द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा, विधि अनुसार प्रकरण संख्या 463/2024 का निस्तारण करें। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द प्रकाश)  
जिला कलेक्टर  
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)  
जिला खैरथल-तिजारा (ज०)